निविदा प्रपत्र का मूल्य बिक्रीकर सहित रू0—26,332/—

# कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

## निविदा सूचना प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम :—............................................................पुत्र श्रीः—..............................
2. पता :—..............................................................................................................................
3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम :— ............................................................................
4. जमानत की धनराशि :— रू0 ............................................(शब्दो में).............................................
5. एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 नं0 :— ...........................................................................................
6. बैंक का नाम :—.................................................................................................................
7. यूनिपोल के चिन्हित स्थल :— राजपुर रोड, चकराता रोड, गांधी रोड, सहारनपुर रोड, जी0एम0एस0 रोड, सहस्त्रधारा रोड, रायपुर रोड, रेसकोर्स, रैस्टकैम्प, मसूरी डाईवर्जन से राजपुर रोड तक, तथा हरिद्वार बाईपास रोड
8. कुल यूनिपोलों की संख्या— 191 यूनिपोल
9. निविदा राशि (अंकों में) —.............................. (शब्दो में) ...................................................

निविदादाता के हस्ताक्षर :—..............................

निविदादाता का पूरा नाम :—..............................

निविदादाता का पूरा पता :—..............................

नीलामी की शर्ते एवं प्राविधान

1. निविदा में केवल नगर निगम में पंजीकृत/नवीनीकृत विज्ञापन एजेन्सी ही प्रतिभाग कर सकती है। निविदा प्रपत्र के साथ पंजीकरण/नवीनीकरण धनराशि के शुल्क की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
2. स्वीकृति दिनांक 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 तक के लिये मान्य है।
3. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रू0 5,84,58,800/— निर्धारित है।
4. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र पूर्ण करना होगा।
5. यातायात एवं जन सुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
6. निविदादाता को नियमानुसार सरकारी देय स्टॉम्प डयूटी, आयकर क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट इत्यादि को निविदा राशि जमा करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

धरोहर / जमानत की धनराशि नगर निगम, देहरादून के नाम प्लेज करनी होगी।

8. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों व अंकों में लिखे जायेंगे, व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
9. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
10. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि 15 दिन के अन्दर व 25 प्रतिशत धनराशि दिनांक 30 जून 2015 एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2015–16 की 31 दिसम्बर 2015 तक नगर निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य है। निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा न होने तक 18 प्रतिशत ब्याज पृथक से देय होगा।
11. नगर निगम के डिफॉल्टर / बकायेदार व उसके सगे सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नही होंगे।
12. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
13. निविदा के साथ रू0 58,45,880 / – धनराशि की सी0डी0आर0 / एफ0डी0आर0 संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
14. यूनिपोल सड़क से जितना सम्भव हो हाईटेंशन तारों से नीचे तक की ऊँचाई पर लगायें जायेंगे। इससे सम्बन्धित सुरक्षा का दायित्व निविदा दाता / फर्म का होगा।
15. यूनिपोल का अधिकतम् साईज 20 x 10 फिट का होगा या स्थल अनुसार उसे कम होना चाहिए। यूनिपोल का डिजाईन वर्ष 2012–13 में शहर में लगे यूनिपोलों की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में कम न हो। कोई भी यूनिपोल बांस, एंग्ल व गोल पाईप पर नही लगाये जायेंगे।
16. यूनिपोल अधिकतम् 25 डिग्री कोण पर अथवा इससे कम पर व स्थल के अनुसार सड़क के सामान्तर ही लगाये जायेंगे। यूनिपोल इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि कोई दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगा।
17. यूनिपोल चिन्हित क्षेत्र / लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर यूनिपोल नही लगाये जायेंगे।
18. यूनिपोल सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वंय के व्यय पर ही लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नही होगी।
19. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित नही किये जायेंगे।
20. यूनिपोल पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा यूनिपोल पर अपना अलग से मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय को करना होगा।
21. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई भी यूनिपोल हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी को 24 घन्टे के अन्दर यूनिपोल को हटाना होगा।
22. किसी विवाद की स्थिति में मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
23. निविदा स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय / न्यायालयों को होगा।
24. निविदादाता द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 तक यूनिपोल सम्बन्धित कार्य सुचारू रूप से किये जाने पर जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
25. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय–समय पर जारी निगम / जिलाप्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
26. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका संख्या–एस0पी0ए0 39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा।

27. निविदा स्वीकृत निविदादाता को सभी यूनिपोल नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थलों पर लगाने होंगे, और यूनिपोल को पेन्ट तथा उसके ऊपर विद्युत प्रबन्ध के लिये एल0ई0डी0 लाईट लगानी होगी। जिससे विद्युत की खपत कम होगी। यह सब निविदादाता को अपने व्यय पर लगाना होगा, और सभी यूनिपोलों की फाउन्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम द्वारा उल्लिखित किये गये ब्यौरों के अनुसार ही रखना होगा।
28. नगर निगम द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर यूनिपोल नही लगाये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से यूनिपोल नही लगाये जायेंगे, यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से यूनिपोल लगाये गये है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी सगे सम्बन्धी, उसके ग्रुप के किसी सदस्य आदि के द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता द्वारा प्रतियूनिपोल रू0—25000/— का अर्थ दण्ड लगाया जायेगा, व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
29. यूनिपोल में नगर निगम, देहरादून द्वारा स्वीकृत लिखा जाना होगा। इसके साथ 01 से अन्तिम संख्या तक नम्बर लिखा जाना अनिवार्य होगा, तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा केवल उपरोक्त यूनिपोल/विज्ञापन पट् पर विज्ञापन प्रदर्शित किया जायेगा। अन्य माध्यमों से विज्ञापन/प्रचार—प्रसार हेतु नगर निगम द्वारा पृथक से आवेदनकर्ता को अनुमति दी जायेगी तथा शुल्क नगर निगम द्वारा लिया जायेगा।
30. उपरोक्त यूनिपोल लगाने में लगे व्यक्तियों श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार पी0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वंय करनी होगी।
31. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉलपेन्टिंग, बिजली के खम्बों पर लगे पोल क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वंय का होगा। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरूद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका संख्या—39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट (**Syndicate**) या कार्टेल (**Cartail**) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बना कर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नही करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिय ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
32. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक (भूमि)
नगर निगम, देहरादून।